रजिस्ट्री सं. जी-3/डीएल (एन)-04/0009/2003—05 REGD. No. G-3/DL (N)-04/0009/2003—05

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-सा.-01112021-230851
SG-DL-W-01112021-230851

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 17] दिल्ली, अक्तूबर 22—अक्तूबर 28, 2021, बृहस्पतिवार/ आश्विन 30— कार्तिक 6, 1943 [रा.रा.रा.क्षे.दि.सं. 222, 233
No. 17] DELHI, OCTOBER 22—OCTOBER 28, 2021, THURSDAY/ASVINA 30—KARTIKA 6, 1943 [N.C.T.D. No. 222, 233

भाग —IV
PART –IV

भाग- I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं
Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राज्य चुनाव आयोग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं चंडीगढ़

आदेश

दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2021

सं. एफ.1(578)/प्रशा./ रा.चु.आ./2021/1203F/1571.—जबकि, दिल्ली के तीन नगर निगमों के लिए आम चुनाव 23.04.2017 को हुए थे।

और जबकि, चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को दिल्ली नगर निगम (पार्षदों का चुनाव) नियमावली, 2012 के नियम 104 के प्रावधानों के अनुसार चुनाव के परिणाम की घोषणा के 10 दिनों के भीतर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के पास अपने चुनावी खर्च का लेखा-जोखा दाखिल करना आवश्यक था। नामांकन दाखिल करते समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उम्मीदवारों को दिए गए चुनाव व्यय के निर्देश रजिस्टर में निहित हैं।

और जबकि, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह सूचित किया गया था कि उम्मीदवार श्रीमती गुंजन गोयल वार्ड नंबर 99-N (कर्मपुरा) ने समय पर अपने खर्च का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया, लेकिन यह देखा गया कि दिनांक 29.04.2017 का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था, परन्तु नोटरी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। दिल्ली नगर निगम (पार्षदों का चुनाव) नियम, 2012 के नियम 104 के तहत इसकी आवश्यकता होती है।

और जबकि, उपरोक्त नियमावली के नियम 108(5) के तहत दिनांक 24.04.2020 को कारण बताओ नोटिस स्पीड पोस्ट नंबर ED169730608IN के माध्यम से भेजा गया था, लेकिन इसे 28.08.2020 को इस टिप्पणी के साथ आयोग में वापिस कर दिया गया था कि वर्तमान में प्रार्थी दिए गए पते पर नहीं रहता है।

और जबकि, जैसा कि वह निर्धारित तरीके और समय के अनुसार चुनाव व्यय खातों को दर्ज करने में विफल रही थी, दिनांक 25.01.2021 को एक आदेश माननीय राज्य चुनाव आयुक्त, दिल्ली द्वारा पारित किया गया था जिसके द्वारा उम्मीदवार को 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया गया था और दिल्ली सरकार के साधारण राजपत्र में यह कहते हुए प्रकाशित किया गया था कि उम्मीदवार निर्धारित तरीके और समय में चुनाव खर्च का लेखा-जोखा जमा करने में विफल रहा है।

और जबकि, श्रीमती गुंजन गोयल ने अपने अयोग्यता आदेश दिनांक 25.01.2021 के खिलाफ एक अपील दायर की है जिसमें कहा गया है कि चूंकि उन्होंने 2018 में अपना आवास स्थानांतरित कर लिया था, इसलिए राज्य चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस उन्हें प्राप्त नहीं हुए थे। उन्होंने कहा है कि यदि उन्हें वो नोटिस प्राप्त हुए होते तो नोटरी द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित एक और शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया होता। उन्होंने अब नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित एक नया शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है और इस प्रकार नोटिस में बताई गई कमी को पूरा कर दिया गया है।

और जबकि मैं, एस.के. श्रीवास्तव, राज्य चुनाव आयुक्त, दिल्ली उपरोक्त परिस्थितियों में अब श्रीमती गुंजन गोयल द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट हूँ, कानून का अनुपालन करते हुए, दिल्ली नगर निगम (पार्षदों के चुनाव) नियमावली, 2012 के नियम 111 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार मैं, एतद्द्वारा, श्रीमती गुंजन गोयल की अयोग्यता दिनांक 25.01.2021 के आदेश को तत्काल प्रभाव से समाप्त करता हूँ।

एस.के. श्रीवास्तव, राज्य चुनाव आयुक्त

STATE ELECTION COMMISSION

N.C.T. OF DELHI & U.T. CHANDIGARH

ORDER

Delhi, the 21st October, 2021

No.F.1(578)/Admn./SEC/2021/1203F/1571.—WHEREAS General Election to the three Municipal Corporations of Delhi were held on 23.04.2017.

AND WHEREAS every contesting candidate was required to file his accounts of Election Expenses with the concerned Returning Officer within 10 days of the declaration of result of election in accordance with the provisions of Rule 104 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012 and the direction/instructions contained in the Register of Election Expenses supplied to candidates by the Returning Officer at the time of filing nomination.

AND WHEREAS it was informed by concerned Returning Officer in his report, that the candidate Mrs. Gunjan Goel, Ward No. 99N (Karampura) submitted her accounts of expenditure in time but it was noticed that affidavit dated 29.04.2017 was submitted but not attested by Notary. The same is required under Rule 104 of Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012.

AND WHEREAS a Show Cause Notice dated 24.04.2020 under Rule 108(5) of the aforesaid Rules was sent to her vide Speed Post No. ED169730608IN but the same was returned back in this Commission on 28.08.2020 with the remarks “LEFT”.

AND WHEREAS as she had failed to file the Election Expenditure Accounts as per prescribed manner and time, an order dated 25.01.2021 disqualifying the candidate for 06 years w.e.f. 25.01.2021 was passed by the Hon’ble State Election Commissioner, Delhi and published in an ordinary Gazette of Delhi Govt. stating that the candidate has failed to lodge Account of Election Expenses in the prescribed manner and time.

AND WHEREAS Mrs. Gunjan Goel has filed an appeal against her Disqualification Order dated 25.01.2021 stating that as she had shifted her residence in 2018, notices sent by the State Election Commission office were not received by her. She has stated that had she received those notices, she would have submitted another affidavit duly

attested by a Notary much earlier. She has now submitted fresh affidavit duly attested by the Notary and thus deficiency pointed out in the Notices has since been made up.

AND WHEREAS I, S.K. Srivastava, State Election Commissioner, Delhi am satisfied upon the action now taken by Mrs. Gunjan Goel under the above mentioned circumstances complies to the requirement of law. I, as per powers conferred upon me under Rule 111 of Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012 do hereby remove the disqualification of Mrs. Gunjan Goel with immediate effect, as earlier ordered on 25.01.2021.

S.K. SRIVASTAVA, STATE ELECTION COMMISSIONER

कार्यालय पंजीयक सहकारी समितियाँ

अधिसूचना

दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2021

फा0 संख्या : 6/14/85/स्था0/सह0/पं. फाइल/1893–1899.–दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम 2003 (दिल्ली अधिनियम 2004 का 3) की धारा 3 की उपधारा (1) के साथ पठित दिल्ली सहकारी समितियां नियमावली, 2007 के नियम 3 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री ए एल मदान, सहायक पंजीयक सहकारी समितियाँ को उपरोक्त अधिनियम के अधीन कार्य को निपटाने के लिए उपरोक्त पद पर कार्य ग्रहण करने की तिथि से पंजीयक की सहायतार्थ नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के

आदेश एवं नाम से,

राकेश दास, उप सचिव

OFFICE OF THE REGISTRAR COOPERATIVE SOCIETIES

NOTIFICATION

Delhi, the 25th October, 2021

No. F.6/14/85/Estt./Coop./PF/1893-1899.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of Delhi Co-operative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004) read with Rule 3(1) of DCS Rules 2007, the Hon'ble Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. A L Madan as Assistant Registrar Cooperative Societies, Delhi to assist the Registrar in discharging his duties and functions under the aforesaid Act and Rules with effect from the date he assumed charge of the said office.

By Order and in the Name of the

Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi.

RAKESH DAS, Dy. Secy.

अधिसूचना

दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2021

फा.सं. 9/(38)/68/स्था0/सह0/फाइल V/1900–1908.– दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम 2003 (दिल्ली अधिनियम 2004 का 3) की धारा 3 की उपधारा (1) के नियम 3 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री टी. फिलिप थंलिएनमांग विशेष पंजीयक सहकारी समितियाँ को उपरोक्त अधिनियम के अधीन कार्य को निपटाने के लिए उपरोक्त पद पर कार्य ग्रहण करने की तिथि से पंजीयक की सहायतार्थ नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के

आदेश एवं नाम से,

राकेश दास, उप सचिव

NOTIFICATION

Delhi, the 25th October, 2021

No. F.9/38/68//Estt./Coop./Vol.V/1900-1908.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of Delhi Co-operative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004), the Hon'ble Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. T. Philip Thanglienmang, DANICS as Special Registrar Cooperative Societies, Delhi to assist the Registrar in discharging his duties and functions under the aforesaid Act and Rules with effect from the date he assumed charge of the said office.

By Order and in the Name of the

Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi.

RAKESH DAS, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.11.01 17:28:56 +05'30'